कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ 14(Water)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 6679 दिनांक 10-07-23

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
क्षेत्र निदेशक, सरिस्का टाईगर रिजर्व,
अलवर।

विषयः– Diversion of 3.5568 ha forest land in favour of PWD Bassi, Jaipur for "Widening and Strengthening of Malngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli,Newal Maksundanpura, Chawandiya , District -Jaipur (Rajasthan)" FP/RJ/ROAD/151862/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाऐं/स्पष्टीकरण अभी भी दिया जाना अपेक्षित है:–

1. जिला कलेक्टर द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि प्रस्तुत करने के आदेश जारी नही किये गये है हालांकि यूजर ऐजेन्सी द्वारा उप खण्ड अधिकारी द्वारा आलोच्य प्रकरण में 3.4764 है गैर वन भूमि दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 3.5568 है0 है। समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है।
2. वर्तमान सडक 1980 से पूर्व की बनी हुई है इस आश्य का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्ताव को राजस्व मेप पर अंकन नही किया गया है।
4. प्रस्ताव में अभयारण्य क्षेत्र में पडने वाली गैर वन भूमि एवं वन भूमि का पूर्ण विवरण नही दिया गया है।
5. अभयारण्य क्षेत्र में सडक की चौडाईकरण का प्रस्ताव है किन्तु यूजर ऐजेन्सी द्वारा अभी तक वन्यजीव स्वीकृति हेतु आवेदन नही किया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 4 में वन घनत्व सही अंकित नही किया गया है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में वन्यजीव प्रबंध योजना के प्रावधानों का विवरण संलग्न नही किया गया है।
8. उप वन संरक्षक द्वारा एन.पी.वी. गणना प्रमाण पत्र, प्रस्तावित वन भूमि का नोटिफिकेशन की प्रति, काटे जाने वाले पेडों की स्थिति, गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है।
9. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि के अभयारण्य क्षेत्र में पडने का कोई उल्लेख नही किया गया है।
10. उप वन संरक्षक द्वारा अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वृक्षों को बचाने हेतु एलायमेंट में बदलाव करने की शर्त पर अभिशंषा की गयी है किन्तु यूजर ऐजेन्सी द्वारा कोई बदलाव नही किया गया है। एलायमेंट का पूर्ण निरीक्षण किया जाकर ही संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
11. मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट ।।। संलग्न नही किया गया है।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ 14(Water)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 6680-81 दिनांक 10-07-23

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, खण्ड–बस्सी जयपुर।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

99

CamScanner